

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 1982/साघ 20, 1903
No. 44] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 1982/MAGHA 20, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग सफलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1982

का० आ० 68 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य
मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं० 4/3-73-वक्फ, तारीख 30 दिसम्बर, 1975
(जो अधिसूचना सं० का० आ० 247, तारीख 30 दिसम्बर, 1975 के साथ भारत के राजपत्र,
भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 17 जनवरी, 1976 में प्रकाशित की गई थी) के साथ
पठित वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) की धारा 64 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पञ्जाब वक्फ बोर्ड के अतिष्ठित रहन के अधिष्ठ का जो भारत
सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं० का०

सं० 796 (अ), तारीख 11 नवम्बर 1981 में विनिर्दिष्ट है 11 फरवरी 1982 से हा एक वर्ष का प्रतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाता है और निदेश देती है कि और आदेश होने तक ऐसी सभी शक्तियाँ और कृतव्या का जिनका अन्तर्गत अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा या उनका और में प्रयोग में पालन किया जा सकता है आनेकितन रहने की इस प्रकार बढ़ाई गई व्यक्ति अवधि के दौरान श्री एस० सी० धामीवाल आई० ए० एम० उपायुक्त अम्बाला द्वारा प्रयोग में पालन किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश में

और उनके नाम में

[सं० 4(13)/81-वक्फ]

ए० के० श्रीनिवासमूर्ति सयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi the 9th February, 1982

S.O. 68 (E) — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 64 of the Wakf Act 1954 (29 of 1954) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. 4/3 73 Wakf, dated the 30th December, 1975 (published with the notification No. S.O. 247 dated the 30th December, 1975, in the Gazette of India, Part II, Section-3 Sub-section (ii) dated the 17th January, 1976) the Central Government hereby extends the period of supersession of the Punjab Wakf Board specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S.O. 796 (E), dated the 11th November, 1981 by a further period of one year on and from the 11th February, 1982, and directs that, until further orders, all the powers and duties which may, by or under the provisions of the said Act be exercised or performed by or on behalf of the Punjab Wakf Board shall during the aforesaid period of supersession as so extended be exercised and performed by Shri S.C. Dhosiwal I.A.S., Deputy Commissioner Ambala.

By order and in the name of the
President of India

[No. 4(13)/81-Wakf]

A K. SRINIVASAMURTHY,
Joint Secretary and Legislative Counsel